

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक...../स्था/राज/अराज/2022

जबलपुर दिनांक

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2130/स्था/राज/2019, जबलपुर दिनांक 28/03/2019 में आंशिक संशोधन करते हुये चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एवं संबद्ध चिकित्सायों में कार्यरत/अध्यनरत महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिरोध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। आंतरिक परिवाद समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. डॉ. कविता एन.सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष स्त्रीरोग विभाग -पीठासीन अधिकारी
2. श्रीमति मिंताली बैनर्जी, समाज सेवी -सदस्य
3. डॉ. प्रियदर्शनी तिवारी, सह. प्राध्यापक स्त्रीरोगविभाग/वार्डन पी.जी. हॉस्टल -सदस्य
4. डॉ.आफताब खान, सह प्राध्यापक मनोरोग विभाग -सदस्य
5. श्रीमति अंजना श्रीवास्तव , मेट्रन मेडि.काले.चिकि. -सदस्य

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 18-5-2022

पृ.क्रमांक 4434.../स्था/राज/अराज/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सादर प्रेषित ।
2. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर।
3. कलेक्टर, जबलपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/मबावि/SHW/2022/462 जबलपुर दिनांक 13/05/22 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला- जबलपुर की ओर।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
6. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
7. संचालक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
8. संचालक, स्कूल ऑफ एक्सिलेन्स इन पल्मोनरी मेडिसिन मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
10. समिति के समस्त सदस्यों की ओर।
11. समस्त हॉस्टल वार्डन मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
12. स्थानीय कार्यालय के समस्त शाखाओं की ओर।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कालेज जबलपुर